DIR/6

रजिस्ट्री सं. डीएल (एन)-04/0007/2003—05 REGISTERED No. DL(N)-04/0007/2003—05

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

साप्ताहिक/WEEKLY

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 41] नई दिल्ली, शनिवार, अक्तूबर 11—अक्तूबर 17, 2003 (आश्विन 19, 1925)
No. 41] NEW DELHI, SATURDAY, OCTOBER 11—OCTOBER 17, 2003 (ASVINA 19, 1925)

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।
(Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation)

भाग III—खण्ड 4
[PART III—SECTION 4]

[सांविधिक निकायों द्वारा जारी की गई विविध अधिसूचनाएं जिसमें कि आदेश, विज्ञापन और सूचनाएं सम्मिलित हैं]
[Miscellaneous Notifications including Notifications, Orders, Advertisements and Notices issued by Statutory Bodies]

राष्ट्रीय आवास बैंक
(भारतीय रिज़र्व बैंक के पूर्ण स्वामित्वाधीन)

नई दिल्ली

आवास वित्त कम्पनी (रा.आ.बैंक) निर्देश, 2001

निर्देश सं. एनएचबी/एचएफसी/डीआईआर.6/सीएमडी/2003 दिनांकित 20 सितम्बर, 2003

राष्ट्रीय आवास बैंक अधिनियम, 1987 (1987 का 53) की धारा 30ए एवं 31 द्वारा प्रदत्त और इस दिशा में सामर्थ्यकारी सभी शक्तियों के प्रयोग में, राष्ट्रीय आवास बैंक इस बात पर संतुष्ट होकर कि ऐसा करना लोक हित में आवश्यक है, एतद्द्वारा यह निर्देश देता है कि कथित निर्देश तत्काल प्रभाव से, निम्न प्रकार, संशोधित माने जाएंगे :-

अनुच्छेद - 11 में, उप-अनुच्छेद 1(क) के बाद, उप अनुच्छेद 1(कक) को निविष्ट किया जाएगा, अर्थात् -

"1(कक) 20 सितम्बर, 2003 को एवं इस तिथि से कोई भी आवास वित्त कंपनी अनिवासी भारतीय (बाह्य) खाता योजना के अधीन, अधिसूचना सं.एफईएमए.5/2000-आरबी दिनांकित 03 मई, 2000 के अनुसार, अनिवासी भारतीयों से प्रत्यावर्तनीय निक्षेप, एक ऐसी दर से, जो भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों के ऐसे निक्षेप के लिए विनिर्दिष्ट दरों से अधिक है पर आमंत्रित, स्वीकार, नवीनीकृत नहीं करेगी।

स्पष्टीकरण: निक्षेप की अवधि एक वर्ष से कम और तीन वर्ष से अधिक नहीं होगी ।"

वी. श्रीधर

(वी. श्रीधर)
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक

National Housing Bank
(Wholly Owned by the Reserve Bank of India)

New Delhi

THE HOUSING FINANCE COMPANIES (NHB) DIRECTIONS, 2001

Direction No. NHB. HFC.DIR.6/CMD/2003 dated September 20, 2003

In exercise of the powers conferred by Sections 30A and 31 of the National Housing Bank Act, 1987 (53 of 1987) and all the powers enabling it in this behalf, the National Housing Bank being satisfied that it is necessary in the public interest so to do, hereby directs that the said Directions shall stand amended with immediate effect, as follows:

In paragraph 11, after sub-paragraph 1(a), sub-paragraph 1(aa) shall be inserted, namely:-

"1(aa) On and from 20th September 2003, no housing finance company shall invite or accept or renew repatriable deposits from non-resident Indians in terms of Notification No. FEMA.5/2000-RB dated May 03, 2000 under Non-Resident (External) Account Scheme at a rate exceeding the rates specified by the Reserve Bank of India for such deposits with scheduled commercial banks.

Explanation: The period of deposits shall not be less than one year and not more than three years."

(V.Sridar)
Chairman & Managing Director